प्रेस नोट-33

दिनांक- 15.01.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

***पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि तथा 1500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 524/17 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना मुन्शीगंज जनपद अमेठी के अभियुक्त पवन कुमार पुत्र जियालाल नि0 भूसियावा थाना मुशीगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एसडी प्रथम सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 15.01.2025 को धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में जेल में बिताई गयी अवधि तथा 1500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा उ0नि0 श्री यशवन्त सिह थाना मुन्शीगंज जनपद अमेठी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद होने पर दिनांक 26.07.2017 को समय 15.30 बजे थाना मुन्शीगंज पर मु0अ0सं0 524/17 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री संजय राय द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-70 दिनांक 08.08.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।